कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0. एल0 ए0 /एस0 एस0 –1/श0 स्था0 नि0/ 14372/ 1319 दिनांक:– 3-9-2013

सेवा में,

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार सरकार, पटना

महाशय,

नगर पंचायत कोआथ के वर्ष 2010–11 से 2011–12 तक के लेखाओं पर आधारित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं0 194/13–14 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित करवाया जाय जिससे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सामाजिक प्रक्षेत्र–I
बिहार, पटना

– 5 SEP 2013

5046(S) 6/9/13

नगर पंचायत, कोआथ
अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 194/13–14
(अवधि – 2010–11 से 2011–12)

1. **प्रस्तावना**

कोआथ नगर पंचायत के वर्ष 2010–11से 2011- 12 के लेखाओं की नमुना लेखा परीक्षा प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा, पटना के लेखा परीक्षा दल द्वारा दिनांक 17.12.12 से 29.12.12 तक की अवधि में किया गया।

2. **प्रशासन**

क्रम सं0	कार्यपालक पदाधिकारी का नाम	अवधि
1	श्री कुमार सिद्धार्थ	01.04.10 से 26.05.10
2	मोहम्मद तसलीम	27.05.10 से 31.03.12

मुख्य पार्षद

1	श्री धर्मेन्द्र चौधरी	01.04.10 से 31.03.12

उप मुख्य पार्षद्

1	श्री लक्ष्मी प्रसाद सिंह	01.04.10 से 31.03.12

3 लेखा परीक्षा का क्षेत्र

लेखापरीक्षा में जाँच किये गये अभिलेखों की सूची परिशिष्ट – I तथा लेखा परीक्षा में उपस्थापित नहीं किए अथवा असंधारित अभिलेखों की सूची परिशिष्ट-- II में दी गयी है।

4 पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

लेखा परीक्षा के दौरान बार–बार अनुरोध करने के बावजुद भी पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों मे से एक भी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन, लेखा परीक्षा में उपस्थापित नहीं किया गया, जिसके कारण लंबित कंडिकाओं के निस्तारण की अनुशंसा लेखा परीक्षा दल द्वारा नहीं की जा सकी।

183

5 प्रमुख लेखा परीक्षा उपलब्धियाँ

क्रम सं0	कंडिका सं0	विवरण
1	12	होल्डिग का पुनरीक्षण विगत 37 सालो से (नहीं होना)
2	15	संचार टावर (₹3.50 लाख)
3	18	विलंब से क्रियान्वित योजनाओं में क्षतिपूर्ति राशि की कटौती नही(₹1.10 लाख)
4	19	श्रम उपकर की कटौती नहीं(₹0.35 लाख)
5	20	12 वीं वित्त आयोग राशि का व्यय दिशा–निर्देशों के विरूद्ध किया जाना(₹1.92 लाख)
6	21	दैनिक मजदूरी पर व्यय(₹3.40 लाख)

6 आंतरिक लेखा परीक्षा

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के अन्तर्गत नगर परिषद् लेखा के आंतरिक लेखा परीक्षा का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, परन्तु बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली,1928 के नियम 20, 30 तथा 36 एवं रिकवरी ऑफ टैक्स नियमावली के नियम 37 एवं 39 आदि में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा इस कार्य हेतु प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा आंतरिक जाँच के प्रावधान हैं। नियमावली में दी गयी जाँच प्रकिया का उद्देश्य लेखा परीक्षा के समुचित संधारण तथा समन्वयन के साथ – साथ त्रुटियाँ एवं अनियमितताओं का निराकरण करना है।

नगर पंचायत के अभिलेखों की जाँच के क्रम में पाया गया कि उपरोक्त नियमावली में वर्णित आंतरिक जाँच नहीं की गयी, जिसके कारण अनेक अनियमितताएँ पायी गयी। इनकी विवेचना आगे की कंडिकाओं में की गयी है।

अगर नगर पंचायत पदाधिकारियों द्वारा उक्त जॉच प्रकिया निश्चित अंतराल पर अपनायी गयी होती तो लेखा परीक्षा के क्रम में पायी गयी त्रुटियॉ नहीं होती।

अतः नगर पंचायत प्रशासन से यह अनुरोध है कि आंतरिक जाँच प्रकिया का पालन नियमित रूप से किया जाय ताकि भविष्य में अनियमितता/त्रुटियों की पुनरावृति न हो।

7 आय–व्यय विवरणी

नगर पंचायत कोआथ केन्द्र सरकार, राज्य सरकार के अनुदान एवं ऋण तथा स्वयं के आय श्रोतों से वित्त सम्पोषित होती है। वर्ष 2010–11से 2011–12 का वार्षिक आय– व्यय लेखा नगर पंचायत द्वारा तैयार नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक आय–व्यय की स्थिति का पता नहीं चल सका। पी0 एल0 खाता का रोकड़ वही के वर्ष 2010–11से 2011–12 का आय–व्यय की स्थिति निम्न पायी गयीः–

वर्ष → / विवरण ↓	2010–11 (राशि ₹)	2011–12 (राशि ₹)
प्रा0 शेष	6988762	5438340
1. वर्ष की प्राप्ति		
क. अनुदान	3151360	9658453
ख. स्वंय के श्रोत	218700	323027
ग. सूद	49072	--
2. वर्ष की कुल प्राप्ति	3419132	9981480
3.कुल प्राप्ति	10407894	15419820
4.व्यय		
क. स्थापना	739690	831006
ख. योजना	3741262	4355070
ग. अन्य	488602	495360
घ. कुल व्यय	4969554	5681436
5.अन्त शेष	5438340	9738384

दिनांक 31.03.12 को खाता(खाता सं0) का अंतशेषः–

क्रम	बैंक का नाम	खाता सं0	राशि(₹)
1.	मध्य बि0 ग्रामिण	7368210000687	1194558.16
2.	SBI	1133925106	8205901.36
3.	PNB	5544000100091113	1068519.50
		योग	10468979.02

दिनांक 31.03.12 को रोकड़ बही का अन्तशेष :– 9738384.00

\४।

अन्तरः– 10468979.02– 9738384.00 = 730595.02

लेखा परीक्षा आपत्तियाँ :–

1. रोकड़ बही में व्यय शीर्ष का वर्गीकरण नही किया गया।
2. रोकड़ बही में कार्यपालक पदा0 का हस्ताक्षर नहीं पाया गया।
3. स्वयं के आय की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। अतः स्वयं के आय श्रोतों में बढ़ोत्तरी हेतु प्रभावी कदम उठाया जाय।
4. अन्तर का बैंक समाधान विवरणी तैयार कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

8. बजट प्राक्कलन

बिहार म्युनिसिपल अधिनियम 2007 की धारा 82 के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी तक कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बजट प्राक्कलन तैयार कर नगर परिषद की बैठक मे विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना है एवं अधिनियम की धारा 84 के अंतर्गत नगर परिषद द्वारा स्वीकृत बजट प्राक्कलन राज्य सरकार द्वारा निर्देशित प्राधिकारी को प्रत्येक वर्ष 15 मार्च तक भेज दी जायेगी।

लेखा परीक्षा अवधि 2010–11 एवं 2011–12 में बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया। नगर पंचायत कोष से ऐसा कोई व्यय नही किया जा सकता है जो आयुक्तो/परिसर सदस्यों द्वारा प्राधिकृत एवं बजट प्राक्कलनों के अनुसार स्वीकृत न हो। अतः भविष्य में बजट बनाकर एवं उसे पारित कराकर बजट के अनुसार व्यय किया जाय।

9. मासिक,त्रैमासिक एवं वार्षिक लेखे का संधारणः–

बिहार नगरपालिका लेखा नियम 1928 के नियम 82 से 84 के अनुसार नगर पंचायत को मासिक त्रैमासिक एवं वार्षिक लेखा तैयार करना वांछित है। उक्त लेखे को संधारित कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

10. अनुदान

नगर परिषद् द्वारा अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया, जिसके कारण पूर्व वर्ष की अव्ययित अनुदान, वर्षान्तर्गत प्राप्त अनुदान, अनुदान का व्यय एवं वर्षान्त पर अव्ययित अनुदान राशि की वास्तविक स्थिति का पता नहीं चल सका। फिर भी, सरकारी विपत्र/चालान वही तथा रोकड़ वहियों के जाँच में वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में अनुदान प्राप्ति की स्थिति निम्नवत् पायी गयीः–

क्रम सं0	अनुदान मद्	पत्रांक/चेक सं0	दिनांक	राशि (₹)
1	कबीर अंत्येष्टि	914848	29.07.10	131000
2	कबीर अंत्येष्टि	375845	19.05.10	36000
3	मुख्यमंत्री योजना	–	03.07.10	850000
4	मुख्यमंत्री योजना	34406	14.12.10	450000
5	नगर प्रबंधक वेतन	DD2400	03.12.10	140000
6	बी० आर० जी० एफ०	665740	20.12.10	245847
7	बी० आर० जी० एफ०	665895	27.01.11	513667
8	जनगणना	00390	07.02.11	114316
9	तेरहवीं वित्त आयोग	95	17.08.10	600000
10	पार्षद भत्ता	69	26.04.10	63600
11	कबीर अंत्येष्टि	214919	13.04.11	54000
12	कबीर अंत्येष्टि	214163	17.10.11	72000
13	कबीर अंत्येष्टि	214189	15.12.12	18000
14	मुख्यमंत्री योजना	334421	18.04.11	511500
15	मुख्यमंत्री योजना	334436	29.08.11	643400
16	नगर प्रबंधक वेतन	DD3869	12.07.11	100000
17	नगर प्रबंधक वेतन	421448	18.01.12	40000
18	बी०आर०जी०एफ०	743340	27.06.11	655652
19	जनगणना	404012	08.04.11	70387
20.	जनगणना	03	06.02.12	189860
21	तेरहवीं वित्त योजना	1838	30.03.11	601678
22	तेरहवीं वित्त योजना	21	04.08.11	700000
23	तेरहवीं वित्त योजना	24	23.08.11	140000
24	तेरहवीं वित्त योजना	49	12.03.12	749000
25	पार्षद भत्ता	44	25.01.12	63600
26	राज्य चर्तुथ वित्त	61 एवं 53	19.03.12	2000000

179

27.	राज्य चर्तुथ वित्त	60 एवं 52	19.03.12	1717027
28	राज्य चर्तुथ वित्त	60 एवं 52	19.03.12	1253363
29.	कम्प्यूटरीकरण	68	28.03.12	78979
		कुल योगः–		12802876

लेखा परीक्षा आपत्ति के अनुपालन में नगर परिषद् द्वारा बताया गया कि अनुदान पंजी का संधारण कर अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जायेगा।

अतः अनुदान पंजी का संधारण कर अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाय तथा दिनांक 31.03.12 तक अव्ययित अनुदान को स्वीकृत योजनाओं पर व्यय किया जाय अथवा जरूरत न हो तो स्वीकृतिदाता पदाधिकारी को वापस किया जाय।

11. सैरातों की बन्दोबस्ती

बंदोबस्ती पंजी नगर पंचायत द्वारा संधारित नहीं की गयी थी जिसके अभाव में राशि की पूर्व की मांग एवं बकाया का सही आकलन नही लगाया जा सका। वित्तीय वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के बंदोबस्ती संचिका के अनुसार बंदोबस्ती निम्न प्रकार था।

क्रम सं0	**बंदोबस्ती का नाम**	**बंदोबस्ती धारी का नाम**	**बंदोबस्ती वर्ष**	**बंदोबस्ती राशि**	**स्टाम्प शुल्क @3%**	**जमा राशि**
1	बाजार बंदोबस्ती	दिनेश्वर चौधरी	2010–11	151350	4540	155890
2	बाजार बंदोबस्ती	अशोक चौधरी	2011–12	115000	3450	118450
			कुलः–		**7990**	

अंकेक्षण टिप्पणी

बंदोबस्ती की सूचना संचिका के नमूना जॉच में निम्न तथ्य उजागर हुए।

(i) बंदोबस्ती की सूचना समाचार पत्र में नही निकाली गयी थी।

(ii) मुख्य सचिव का पंत्राक सं0 1920/नि0/मु0 स0 दिनांक 14.08.02 एवं सचिव–सह निबंधन महानिरिक्षक बिहार के पत्रांक 549 दिनांक 15.03.05 के अनुसार बस पडाव/हाट

बाजार/जल–कर/मेला स्थल/बालू घाट/दुकान/मार्केटिक सेड कि बंदोबस्ती यदि वर्ष या उससे कम अवधि के लिए कि जाती है तो बंदोबस्ती करने से पूर्व बंदोबस्ती की राशि पर 3%की दर से देय मुद्रांक शुल्क मुद्रांक के रूप में बंदोबस्ती धारी से लेकर उसी पर शर्त लिखकर निर्गत की जानी थी। नगर पंचायत द्वारा मुद्रांक शुल्क की राशि काटी गयी थी परन्तु उसका स्टाम्प पेपर खरीद कर उसपर नियम एवं शर्तें निर्गत नहीं की गयी।

अतः मुद्रांक शुल्क की कुल राशि ₹ 7990.00 सरकार के संबंधित राजस्व शीर्ष में जमा कराया जाय।

(iii) वित्तीय वर्ष 2011–12 में बंदोबस्ती की उच्चतम बोली 406000.00 एवं द्वितीय बोली 405000.00 तथा तृतीय बोली 396000.00 थी। तीनों बंदोबस्ती की बोली बोलने वाले के द्वारा राशि जमा नही करने के कारण चौथी बोली लगाने वाले को बाजार की बंदोबस्ती 115000.00 में दे दी गयी। लेकिन प्रथत, द्वितीय एवं तृतीय बोली वालो की सुरक्षित जमा राशि को जब्त नहीं किया गया था, जो संदेहास्पद था। जबकि चतुर्थ बोली की राशि वित्तिय वर्ष 2010–11 ₹151350.00 से ₹36350.00 कम थी। अतः नगर पंचायत को कम से कम ₹36350.00 की राजस्व हानि हुई। जिसकी वसूली इस हेतु जिम्मेवार व्यक्ति(यों) से की जाय।

12. होल्डिंग का पुनरीक्षण एवं सड़कों का पुर्नवर्गीकरण नहीं किया जाना

बिहार नगारपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 127(13) के अनुसार नगरपालिका हरेक पाँच वर्ष में होल्डिगों के वार्षिक मूल्य का उर्ध्वगामी (बढ़ते हुए क्रम में) पुनरीक्षण एवं होल्डिग के सडकों का पुर्नवर्गीकरण करेगी।

परन्तु लेखापरीक्षा में प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार नगर निकाय द्वारा वर्ष **1975** में होल्डिग का निर्धारण/पुनरीक्षण किया गया था, परन्तु **37** वर्ष बीतने के बावजूद नगर निकाय द्वारा होल्डिगों के वार्षिक मूल्य का पुनरीक्षण एवं होल्डिगों के सड़कों का पुनवर्गीकरण नहीं किया गया था।

13. शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर सरकारी खाते में जमा नही

शहरी स्थानीय निकायों को होल्डिग टैक्स के 50% की दर से शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर वसूलने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

नगर निकाय द्वारा वर्ष 2010–11 से 2011–12 के दौरान ₹ 4796.72 शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर वसूली गयी। राज्य सरकार के आदेशानुसार नगर निकायों को वसूल किये गये राजस्व में से 10% वसूली प्रभार ₹480.00 घटाकर शेष राशि सरकारी खाते में जमा करना था परन्तु इसे जमा नही किया गया। उक्त मदों मे सरकारी खातें में जमा नहीं की गयी राशि का विवरण निम्नलिखित हैः–

वर्ष	शिक्षा उपकर की राशि	स्वास्थ्य उपकर की राशि
कुल राजस्व	2398.36	2398.36
घटावः वसूली प्रभार	240.00	240.00
सरकारी खातें में नहीं जमा राशि	2158.36	2158.36

नगर पंचायत द्वारा ₹ 4316.72 (2158.36+2158.36) को सरकारी खाते में जमा नहीं कर उसका उपयोग निकाय के अन्य व्ययों पर किया गया।

उपरोक्त राशि को जल्द से जल्द संबंधित शिर्ष में जमा कर अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाय।

14. नहीं जमा/कम जमा

विविध रसीद होल्डिंग रसीद के नमूना जाँच में पाया गया कि रू० 1141.00 का संग्रहण कर्त्ता द्वारा किया गया। संग्रहण की राशि नियमानुसार संग्रहण की तिथि को या उसके अगले दिन पूर्वाहन तक पी० एल० खाता/बैंक खाता में जमा कर दी जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

विवरणी निम्नलिखित हैः–

क्र०सं०	विविध/होल्डिंग रसीद्	वसूली की तिथि	वसूल की गयी नही जमा राशि		जमा राशि की विवरणी	नहीं जमा/कम जमा
1.	MR No.121	24.07.11	200			200
2.	MR No.122	18.10.11	150			150
3.	MR No.197	26.11.12	10			10
4.	HR No.1269	03.02.11	128			128
5.	HR No.1490 से 1796	29.03.12 से 27.11.12	24739		24086	653
		कुलः–				**1141**

अतः कम/नहीं जमा की राशि ₹1141.00 संबंधित व्यक्ति(यों) से वसूल कर नगर पंचायत कोष में जमा करवाया जाय एवं अगले लेखा परीक्षा में दिखलाया जाय।

15. संचार टावरों का अपंजीकृत रहना एवं रू० 3.50 लाख शुल्क बकाया

बिहार सरकार द्वारा संचार टावर एवं संबंधित संरचना पर करो के संबंध में बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली, 2012 दिनांक 08.10.2012 को अधिसूचित किया गया है।

उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(1) के अनुसार नगर निगम/परिषद्/पंचायत में पंजीकरण शुल्क रू० 50,000/ 40,000/ 30,000/ प्रति टावर एवं नवीकरण शुल्क रू० 15,000/ 10,000 / 8000/- प्रतिवर्ष प्रति टावर निर्धारित किया गया है।

नियम 6(2) के अनुसार, उपर्युक्त नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व के स्थापित मोबाइल टावरों को उपर वर्णित पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा तथा नवीकरण शुल्क टावर स्थापित करने के समय से पूर्ण वर्षो की संख्या के आधार पर लिया जाएगा।

नगर निकाय के टैक्स दारोगा द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत सूची के अनुसार नगर निकाय के क्षेत्रान्तर्गत पाँच मोबाइल टावर अधिस्थापित थे जो नगर निकाय से अपंजीकृत थे एवं उपर्युक्त नियमावली के अनुसार अधिष्ठापित मोबाइल टावरों पर ₹ 3.5 लाख शुल्क बकाया था।

जिसका विवरणी निम्नलिखित है:-

क्र०सं०	मो० कंम्पनी का नाम	स्थापना वर्ष	पंजीकरण शुल्क	नवीकरण शुल्क/8000/वर्ष	पं०करण एवं नवीकरण शुल्क (31.03.12 तक)	मो०टावर कं० द्वारा 31.03.12 तक जमा राशि	मो०टावर का कुल बकाया राशि(31.03.1.2 तक)
1	बी०एस०एन०एल०	2006–07	30000	8000X5=40000	70000	शून्य	70000
2	एयरटेल	2006–07	30000	8000X5=40000	70000	शून्य	70000
3	आइडिया	2006–07	30000	8000X5=40000	70000	शून्य	70000
4	एयरसेल टेलिफोन	2006–07	30000	8000X5=40000	70000	शून्य	70000
5	रिलायस टेलिकम	2006–07	30000	8000X5=40000	70000	शून्य	70000
	कुल:-						**350000**

अतः पाँच अपंजीकृत टावरों के पंजीकरण एवं बकाया शुल्क रू० 350000 की वसूली हेतु आवश्यक कारवाई की जाय।

16. खतरनाक एवं भयावह मांग व वसूली

नगर पंचायत, कोआथ द्वारा खतरनाक एवं भयावह मांग व वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया था, जिससे बकाया, मॉग एवं संग्रहण की अद्यतन स्थिति का पता नहीं चल सका परंतु नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध कराए गये विवरणी के अनुसार मुल ₹ 2885 बकाया है। जिसका विवरण निम्न हैं:–

क्रम सं0	वर्ष	कुल बकाया	कुल वसूली	शेष	% वसूली
1	2010–11	14710	85	14625	0.5
2	2011–12	15325	65	15260	0.44

उपर्युक्त आंकडो को देखने से स्पष्ट होता है कि मांग के विरूद्ध वर्ष वसूली बहुत कम थी।अतः नगर पंचायत को सूझाव दिया जाता है कि वसूली हेतू उचित कारवाई से स्थानीय लेखा परीक्षक को सूचित करें।

17. योजना को पूर्ण किए बिना बन्द किया जाना

योजना सं0:– 02/2009–10 (बी0 आर0 जी0 एफ0)

योजना का नाम:– वार्ड सं0–5 में सीता राम के घर से पासी टोला होते हुए महावीर प्रसाद के घर तक ईट सोंलिग।

प्रशासनिक स्वीकृति: - कार्यपालक पदाधिकारी

प्राक्कलित राशि:– 2,73,838.00

कार्य प्रारंभ की तिथि:– 27.03.10

कार्य समाप्त करने की तिथि:– 26.06.10

कार्य समाप्ति की तिथि:– 10.01.11

संवेदक का नाम:– जितेन्द्र कुमार

मापी की राशि:– 103191.00 (10.01.11)

भुगतानः–

दिनांक	चेक सं0	राशि
25.07.10	427468	70000
5.03.11	519404	33191
कुलः–		103191

अंकेक्षण टिप्पणीः–

1. प्राक्कलन के अनुसार कार्य पुरा नहीं किया गया

2	प्राक्कलन के अनुसार		मापी पुस्तकें के अनुसार
	मिट्टी कार्य	209.63M^3	107.81 M^3
	बालु	69.18M^3	26.33 M^3
	ईटीकरण	688.37M^3	262 M^3

अतः प्राक्कलन के आधे से भी कम कार्य किया गया जिससे चयनित योजना पूर्ण नहीं हो सकी। अतः योजना का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ।

अतः इस योजना की जाँच कर अगले अंकेक्षण को दिखलाया जाय, तब तक कुल राशि ₹ 1,03,191/- को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

18 विलंब से क्रियान्वित योजनाओं में क्षतिपूर्ति राशि की कटौती नहीं(₹1.10 लाख)

नगर पंचायत कोआथ के अभिलेखो की जाँच के क्रम में पाया गया की निम्नलिखित योजनाओ मे क्षतिपूर्ति राशि (विलम्ब शुल्क) की कटौती नहीं की गयी थी जबकी एकरारनामा के अनुसार कुल प्राक्कलित राशि का प्रत्येक दिन के विलम्ब पर 1/2% तथा अधिकतम 10% की कटौती उनके भुगतान से करनी थी। जिसका विवरण निम्न हैः–

क्रम सं0	योजना सं0	मद	प्रा0 राशि (₹)	कार्यादेश की तिथि	भुगतान की गयी राशि (₹)	कार्यावधि	कार्य समाप्ति की तिथि	विलम्ब अवधि (माह
1	1/11–12	बी॰आर॰जी॰ए फ॰	100000	25.02.12	91603	3 माह	05.07.12	1 माह दिन
2	3/11–12	बी॰आर॰जी॰ए फ॰	128000	25.02.12	127993	3 माह	05.07.12	तथैव
3	4/11–12	बी॰आर॰जी॰ए फ॰	130000	25.02.12	123570	3 माह	05.07.12	तथैव
4	6/11–12	बी॰आर॰जी॰ए फ॰	185000	25.02.12	182470	3 माह	12.09.12	3½ मा
5	7/11–12	बी॰आर॰जी॰ए फ॰	140000	16.04.12	139825	3 माह	15.10.12	3 माह
6	26/10–11	बी॰आर॰जी॰ए फ॰	213967	28.02.11	213959	3 माह	10.10.11	4½ मा
7	10/11–12	तेरहवीं वित्त	99700	25.02.12	99680	3 माह	05.07.12	1 माह दिन
8	11/11–12	तेरहवीं वित्त	100000	25.02.12	99992	3 माह	09.08.12	2½ मा
कुलः–			1096667		**1079092**			

अतः कुल योजनाओं का प्राक्कलित राशि ₹1096667.00 का 10% =109667.00 भुगतान जम्मेवार व्यक्तियों की जाय तथा अगले अंकेक्षण को दिखलाया जाय।

19. श्रम उपकर की कटौती नहीं(₹0.35 लाख)

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय के सितम्बर 1996 की अधिसूचना शीर्षक भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के तदनानुसार बिहार सरकार ने असाधारण गजट अधिसूचना सं० 4/एफ 1 –302/2006, श्र० नि० –865 दिनांक 18.08.2008 द्वारा श्रम उपकर लागू किया। इसके अनुसार सभी सरकारी विभागों को निर्माण की लागत का एक प्रतिशत श्रम उपकर विपत्रों से कटौती कर भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को निप्रेषित करने का प्रावधान है।

परन्तु लेखा परीक्षा में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार वर्ष 2010–11 से 2011–12 के दौरान योजनाओं पर वर्ष द्वारा ₹ **3548016.00** व्यय किया गया, परन्तु विपत्रो से श्रम उपकर ₹35480.00(3548016 का 1%) की कटौती नही की गयी, जिसका विवरण निम्नवत है।

क्र०सं०	योजना का मद	वर्ष	योजनाओं की सं०	कुल भुगतान की राशि
1.	बी०आर०जी०एफ०	2010–11	3	570555
2.	बी०आर०जी०एफ०	2011–12	9	1342182
3.	चर्तुथ वित्त आयोग	2011–12	2	343803
4.	तेरहवीं वित्त	2011–12	13	1291476
	कुलः–			**3548016**

विपत्रों से श्रम उपकर की कटौती नही किए जाने के फलस्वरूप राशि कल्याण बोर्ड को नही भेजी जा सकी।

अतः कुल ₹ **35480.00** की वसूली भुगतान हेतु जिम्मेवार व्यक्ति(यों) से कर कल्याण बोर्ड भेजी जाय।

20. 12वी वित्त आयोग राशि का व्यय दिशा–निर्देशों के विरूद्व किया जाना (₹1.92 लाख)

सरकारी दिशा निर्देश के अनुसार 12वीं वित्त आयोग के अनुदान की राशि को इसके अलावा किसी अन्य मद में व्यय नही करना था परन्तु नगर पंचायत के रोकड़ वही के नमूना जॉच में पाया गया कि उक्त मद की राशि को नगर के साफ सफाई व कचड़ा उठाव के लिए खर्च किया गया जिसका विवरण निम्न है।

क्रम सं0	प्रमाणक सं0/दिनांक	राशि(₹)	विवरणी
1	5/09.10.10	25000	सफाई हेतु दैनिक मजदूर को भुगतान
2	10/10.11.10	25000	सफाई हेतु दैनिक मजदूर को भुगतान
3	14/13.01.11	8960	सफाई हेतु दैनिक मजदूर को भुगतान
4	17/05.02.11	25200	सफाई हेतु दैनिक मजदूर को भुगतान
5	15/30.09.11	25000	सफाई हेतु दैनिक मजदूर को भुगतान
6	18/24.10.11	38000	सफाई हेतु दैनिक मजदूर को भुगतान
7	22/03.12.11	10000	सफाई हेतु दैनिक मजदूर को भुगतान
8	26/21.12.11	5000	सफाई हेतु दैनिक मजदूर को भुगतान